मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान भोपाल 462003 (म.प्र.) भारत
(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन राष्ट्रीय महत्व का संस्थान)
Maulana Azad National Institute of Technology Bhopal
462003(M.P.)India
(An Institution of National Importance, under Ministry of Education, Govt. of India)

क्रमांक / स्था. / राजभाषा / 2026 / 312 दिनांक 17 / 3 / 2026

## // परिपत्र //

केन्द्रीय सरकार राजभाषा नियम 1976 के नियम 10 के उपनियम (4) के अनुसार शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत आने वाले ऐसे कार्यालय जिनके 80% अथवा उससे अधिक कार्मिकों ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, उनको विषयांकित नियम के अंतर्गत भारत के राजपत्र में अधिसूचित कराना अनिवार्य है।

अतः समस्त विभागाध्यक्षों / संकायाध्यक्षों / अनुभागाध्यक्षों / केन्द्राध्यक्षों से अनुरोध उनसे संबंधित विवरण संलग्न राजभाषा रोस्टर के प्रपत्र में भरकर यथाशीघ्र राजभाषा प्रकोष्ठ स्थापना अनुभाग को भेजें।

**संलग्न :** राजभाषा रोस्टर प्रपत्र।

गौरव द्विवेदी 17/03/26
संयोजक राजभाषा

**प्रतिलिपिः**

1. समस्त संकायाध्यक्ष।
2. समस्त विभागाध्यक्ष।
3. समस्त अनुभागीय अधिकारी / प्रभारी।
4. डॉ सविता दीक्षित, प्राध्यापक, रसायन शास्त्र विभाग एवं परामर्शदात्री राजभाषा समिति, मेनिट भोपाल।
5. प्रभारी, वेबसाइट अपलोड हेतु।
6. कुलसचिव के निज सहायक को कुलसचिव महोदय के सूचनार्थ।
7. निदेशक के निज सहायक को निदेशक महोदय के सूचनार्थ।

# मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान भोपाल

(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन राष्ट्रीय महत्व का संस्थान)

दिनांक ...../ /2026

## राजभाषा रोस्टर

विभाग का नाम : _____

| क्र. | अधिकारी/कर्मचारी का नाम | पदनाम | राजभाषा का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त है/नहीं |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

विभागाध्यक्ष/अनुभागाध्यक्ष हस्ताक्षर :

नाम :

पदनाम:

# राजभाषा नियम, 1976

## राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग)

## नियम, 1976

## (यथा संशोधित, 1987, 2007 तथा 2011)

सा.का.नि. 1052 --राजभाषा अधिनियम, 1963 (1963 का 19) की धारा 3 की उपधारा (4) के साथ पठित धारा 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थातः-

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ--**
   a. इन नियमों का संक्षिप्त नाम राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 है।
   b. इनका विस्तार, तमिलनाडु राज्य के सिवाय सम्पूर्ण भारत पर है।
   c. ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. **परिभाषाएं-- इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न होः-**
   a. 'अधिनियम' से राजभाषा अधिनियम, 1963 (1963 का 19) अभिप्रेत है;
   b. 'केन्द्रीय सरकार के कार्यालय' के अन्तर्गत निम्नलिखित भी है, अर्थातः-
   c. केन्द्रीय सरकार का कोई मंत्रालय, विभाग या कार्यालय;
   d. केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किसी आयोग, समिति या अधिकरण का कोई कार्यालय; और
   e. केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व में या नियंत्रण के अधीन किसी निगम या कम्पनी का कोई कार्यालय;
   f. 'कर्मचारी' से केन्द्रीय सरकार के कार्यालय में नियोजित कोई व्यक्ति अभिप्रेत है;
   g. 'अधिसूचित कार्यालय' से नियम 10 के उपनियम (4) के अधीन अधिसूचित कार्यालय, अभिप्रेत है;
   h. 'हिन्दी में प्रवीणता' से नियम 9 में वर्णित प्रवीणता अभिप्रेत है ;
   i. 'क्षेत्र क' से बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्य तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र अभिप्रेत है;
   j. 'क्षेत्र ख' से गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब राज्य तथा चंडीगढ़, दमण और दीव तथा दादरा और नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र अभिप्रेत हैं;
   k. 'क्षेत्र ग' से खंड (च) और (छ) में निर्दिष्ट राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से भिन्न राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र अभिप्रेत है;
   l. हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान' से नियम 10 में वर्णित कार्यसाधक ज्ञान अभिप्रेत है ।
3. **राज्यों आदि और केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों से भिन्न कार्यालयों के साथ पत्रादि-**
   1. केन्द्रीय सरकार के कार्यालय से क्षेत्र 'क' में किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र को या ऐसे राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में किसी कार्यालय (जो केन्द्रीय सरकार का कार्यालय न हो) या व्यक्ति को पत्रादि असाधारण दशाओं को छोड़कर हिन्दी में होंगे और यदि उनमें से किसी को कोई पत्रादि अंग्रेजी में भेजे जाते हैं तो उनके साथ उनका हिन्दी अनुवाद भी भेजा जाएगा।
   2. केन्द्रीय सरकार के कार्यालय से--

कृ. पृ. उ. दे.

1.0 हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान

1.

a. यदि किसी कर्मचारी ने-

i. मैट्रिक परीक्षा या उसकी समतुल्य या उससे उच्चतर परीक्षा हिन्दी विषय के साथ उत्तीर्ण कर ली है; या

ii. केन्द्रीय सरकार की हिन्दी परीकाा योजना के अन्तर्गत आयोजित प्राज्ञ परीक्षा या यदि उस सरकार द्वारा किसी विशिष्ट प्रवर्ग के पदों के सम्बन्ध में उस योजना के अन्तर्गत कोई निम्नतर परीक्षा विनिर्दिष्ट है, वह परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है;या

iii. केन्द्रीय सरकार द्वारा उस निमित्त विनिर्दिष्ट कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है; या

b. यदि वह इन नियमों से उपाबद्ध प्ररूप में यह घोषणा करता है कि उसने ऐसा ज्ञान प्राप्त कर लिया है;

तो उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है।

2. यदि केन्द्रीय सरकार के किसी कार्यालय में कार्य करने वाले कर्मचारियों में से अस्सी प्रतिशत ने हिन्दी का ऐसा ज्ञान प्राप्त कर लिया है तो उस कार्यालय के कर्मचारियों के बारे में सामान्यतया यह समझा जाएगा कि उन्होंने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है।

3. केन्द्रीय सरकार या केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट कोई अधिकारी यह अवधारित कर सकता है कि केन्द्रीय सरकार के किसी कार्यालय के कर्मचारियों ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है या नहीं।

4. केन्द्रीय सरकार के जिन कार्यालयों में कर्मचारियों ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है उन कार्यालयों के नाम राजपत्र में अधिसूचित किए जाएंगे;

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार की राय है कि किसी अधिसूचित कार्यालय में काम करने वाले और हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले कर्मचारियों का प्रतिशत किसी तारीख में से
उपनियम (2) में विनिर्दिष्ट प्रतिशत से कम हो गया है, तो वह राजपत्र में अधिसूचना द्वारा घोषित कर सकती है कि उक्त कार्यालय उस तारीख से अधिसूचित कार्यालय नहीं रह जाएगा ।